



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222550
CG-DL-E-19102020-222550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]
No. 437]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

भारतीय रिजर्व बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

विवि.केका.आरआरबी. सं. 139 /31.04.002/2020-21.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) और (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे बाद में "आरबीआई अधिनियम" कहा गया है), नीचे दिए गए मद सं (क) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने और मद सं (ख) में प्रदर्शित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु निदेशित करता है।

पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम (क)	नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाम (ख)
ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	आर्यावर्त बैंक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद यू.पी. ग्रामीण बैंक	
बिहार ग्रामीण बैंक	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना, बिहार
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	
वनांचल ग्रामीण बैंक	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची, झारखंड
झारखंड ग्रामीण बैंक	
प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक
कावेरी ग्रामीण बैंक	
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर, मध्य प्रदेश
सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	

सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
प्रथमा बैंक	
पंडियन ग्रामा बैंक	तमिल नाडु ग्रामा बैंक, सेलम, तमिलनाडु
पल्लवन ग्रामा बैंक	

लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./301/2020-21]

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

DOR.CO.RRB.No. 139 /31.04.002/2020-21.— In exercise of the powers conferred under clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (hereinafter referred to as “the RBI Act”), the Reserve Bank of India, hereby, directs the exclusion of the Regional Rural Banks indicated below at column no. [A] from the second schedule of the RBI Act and the inclusion of the Regional Rural Banks indicated below at column no. [B] in the second schedule of the RBI Act.

Name of the erstwhile Regional Rural Banks [A]	Names of new Regional Rural Banks [B]
Gramin Bank of Aryavart	Aryavart Bank, Lucknow, Uttar Pradesh
Allahabad UP Gramin Bank	
Bihar Gramin Bank	Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna, Bihar
Madhya Bihar Gramin Bank	
Vananchal Gramin Bank	Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi, Jharkhand
Jharkhand Gramin Bank	
Pragathi Krishna Gramin Bank	Karnataka Gramin Bank, Ballari, Karnataka
Kaveri Grameena Bank	
Narmada Jhabua Gramin Bank	Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore, Madhya Pradesh
Central Madhya Pradesh Gramin Bank	
Sarva U.P. Gramin Bank	Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad, Uttar Pradesh
Prathama Bank	
Pandyan Grama Bank	Tamil Nadu Grama Bank, Salem, Tamil Nadu
Pallavan Grama Bank	

LILY VADERA, Executive Director

[ADVT-III/4/Exy./301/2020-21]